कार्यालय नगर निगम, कोटा (राज.)

क्रमांक : ननिको/ निर्माण/2026/537-549 दिनांक : 10/6/26

ई–निविदा सूचना संख्या : 09/2026–27

नगर निगम कोटा द्वारा विभिन्न अभियान्त्रिकी विभागों के **"A", "AA"**श्रेणी एवं अन्य सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई–निविदा द्वारा Two Bid System पद्धति से निम्नानुसार ऑनलाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। संवेदक निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाईट **www.kotamc.org, www.kotamunicipal.org, http://sppps.rajasthan.gov.in, https://eproc.rajasthan.gov.in** से प्राप्त कर सकेंगे।

निविदा डाउनलोड करने की तिथि (वेबसाईट से) निविदा अपलोड करने की तिथि	निविदा के डी.डी. जमा कराने एवं तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय	वित्तीय बिड खोलने की तिथि
18.06.2026 से 27.06.2026	29.06.2026 डी.डी. (दोपहर 2.00 बजे तक) तकनीकी बिड (सायं 4.00 बजे)	तकनीकी बिड परीक्षण के पश्चात्

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाखों में)	धरोहर राशि		निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			0.50%	2%			
01	नगर निगम कोटा के स्टेशन क्षेत्र में रंगपुर पुलिया स्थित सीवरेज पाईप स्टेशन पर प्रेशर लाईन एवं मिशिंग सीवरेज लिंक का कार्य।	45.34	22670/-	90680/-	2500/-	500/-	06 माह

शर्तें :–

1. आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 एवं आर.टी.पी.पी. 2013 के नियम एवं शर्तें निविदा में लागू होगें।
2. निविदओं में भाग लेने वाले संवेदकों/फर्मो द्वारा जमा की जाने वाली निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस, धरोहर राशि आयुक्त नगर निगम कोटा की वेबसाइट www.kotamc.org, पर जाकर ऑफलाईन डी.डी. (धरोहर राशि/निविदा शुल्क, आयुक्त नगर निगम कोटा के नाम एवं प्रोसेसिंग फीस MD-RISL जयपुर के नाम) ही जमा करवाई जानी है। जिसकी रसीद/प्रति ऑनलाईन https://eproc.rajasthan.gov.in तकनीकी बिड में संवदेक द्वारा अपलोड करनी होगी। इसके अभाव में संवेदक को असफल कर दिया जायेगा। संवेदक निविदा से संबंधित निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग शुल्क/धरोहर राशि के डी.डी. इत्यादि फर्म के नाम से बनवाये। असफल संवेदक की सिर्फ धरोहर राशि लोटाई जावेगी। निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस (Non-Refundable) वापस नही की जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्ताव उचित रूप में ऑन–लाईन प्रस्तुत किए जाने हैं।
4. कार्य के विलम्ब की स्थिति में गुणावगुण के आधार पर अनुबन्ध में निहित अधिकतम दर तक शास्ती लगायी जा सकेगीं।
5. अनुबन्ध करने में असमर्थ रहने अथवा कार्य करने में असमर्थ रहने पर अनुबन्ध की शर्त सं0 2 व 3 के अन्तर्गत आपकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर नगर निगम कोटा उत्तर को कार्य करने का/जमा योग्य अर्नेस्ट मनी की शास्ती लगाने की कार्यवाही करने का निगम को अधिकार सुरक्षित रहेगा बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र के अनुसार कार्यवाही कर सकेगा।
6. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति कार्य स्थल के फोटोग्राफ प्रस्तुत करने होगें एवं कार्य स्थल पर सूचना बोर्ड स्वयं के खर्चे पर लगाना होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित सहा.अभि./कनि.अभि. संबंधित को सूचित करेंगे एवं उनके सामने गुणवत्ता रिपोर्ट हेतु सेम्पल लिया जाना सुनिश्चित करेगें।
7. न्यूनतम मजदूरी एक्ट एवं श्रम कानूनों की पालना किया जाना अनिवार्य होगा।
8. कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFO) के अन्तर्गत EPF & ESI पंजीयन की प्रति संलग्न करनी होगी एवं EPF & ESI के समस्त प्रकार के दायित्वों का निवर्हन संवेदक का होगा के संबंध में 100/–रू0 के स्टाम्प पर नोटेराईज शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न शपथ पत्र का प्रारूप)
9. कार्य संपादन प्रतिभूति/सुरक्षा निधि की वापसी अनुबंध की शर्त संख्या 37 के अनुसार होगी।
10. संवेदक द्वारा निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध में संवेदक यह तथ्य भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करेगा की PF & ESI विभाग के किसी प्रकार के दायित्त्व सृजित होते हैं तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
11. वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.10.2021 अनुसार आर. टी. पी. पी. नियम 2013 Additional Perfomance Security के लिए नियम 75 A जोडा गया है।
12. Work Performance Guarantee के रूप में कार्य आदेश जारी करने से पूर्व ली जावेगी तथा इसे कार्य के संतोषजनक रूप से पूर्ण होने के पश्चात् निर्धारण दोष निवारण अवधि के उपरान्त कार्य की स्थिति संतोषजनक पाये जाने पर ही संवेदक को रिफन्ड की जावेगी।
13. तकनीकी प्रपत्र 24 घण्टे अपलोड होने के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त होती हैं तो आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी।
14. यदि कार्य निर्माण से संबंधित है तो, नाली रोड़ के कार्य से पहले नाली का कार्य प्रारम्भ करना होगा। नाली निर्माण के बाद सड़क का कार्य प्रारम्भ करेंगे।
15. कार्य का स्थल परिवर्तन बिना सक्षम स्वीकृति के नही कर सकेंगे।
16. संवेदक को निविदा में मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ति कर लगाया जाना आवश्यक होगा। यदि मांगे गये दस्तावेजों की पूर्ति नहीं किये जाने पर उस फर्म को असफल माना जावेगा।
17. ई–बोली प्रपत्र दो भागों में है। प्रथम भाग तकनिकी बिड है तथा द्वितीय भाग वित्तीय बिड है। बोली दाता द्वारा तकनिकी बिड हेतु यह प्रपत्र मय संलग्न व वांछनीय दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुये मय सील e-proc पोर्टल पर अपलोड करनी है। वित्तीय बिड आनलाईन BoQ में ही प्रस्तुत की जानी है। इससे भिम्न रूप मे प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्तीय दर वाला बिड डाक्यूमेंट केवल उन्ही फर्मो का खोला जायेगा, जिन्हें कमेटी द्वारा तकनिकी बिड डाक्यूमेंट में योग्य समझा जायेगा।
18. स्वीकृत निविदादाता को निविदा की शर्तो की पूर्ण पालना करनी होगी। शर्तो की अवहेलना गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं करने पर तथा विलम्ब पर नियमानुसार कार्यवाही कर नुकसान को वसूलने का नगर निगम कोटा को पूर्ण अधिकार होगा। ऐसे मामलों में फर्म के दोषी पाये जाने पर स्वीकृति निरस्त कर पुनःनिविदा आमंत्रित की जा सकेगी। नई फर्म को निविदा द्वारा कार्यादेश दिये

जाने तक नगर निगम कोटा ठेकेदार की रिस्क व कोस्ट के आधार पर किसी अन्य निविदा में भाग लेने वाली फर्म से कार्य कराया जा सकेगा, जिसकी कटौती ठेकेदार से की जावेगी।

19. निविदादाता दरों की वैधता अवधि खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस तक अनुमोदन हेतु मान्य होगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
20. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार नगर निगम कोटा को होगा।
21. निविदादाता द्वारा दी जाने वाली दरें सभी कर सहित अंकित करनी होगी/BoQ में भरनी होगी।
22. फर्म के बिलो से नियमानुसार आयकर की कटौती भुगतान करते समय की जायेगी।
23. कार्य की आवश्यकता को देखते हुए दूरभाष पर भी आदेश दिये जा सकेंगे जो ठेकेदार/संवेदक को मान्य होगें।
24. सिविल विवाद की स्थिति में स्थानीय न्यायालय कोटा का ही क्षेत्राधिकार होगा।
25. राज्य सरकार व नगर निगम कोटा द्वारा समय–समय पर जारी आदेश निर्देश मान्य होगें।
26. संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अनुबंध को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
27. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
28. निविदादाता विफल रहा है के मूल्य की निम्नानुसार प्रतिशत के आधार पर वसूली की जावेगी।
    - विहित परिदान कालावधि की एक चौथाई कालावधि तक विलम्ब — 2.50 प्रतिशत
    - विहित कालावधि से एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी से अनाधिक कालावधि तक विलम्ब — 5.00 प्रतिशत
    - विहित कालावधि के आधे से किन्तु तीन चौथाई तक की कालावधि का विलम्ब — 7.50 प्रतिशत
    - विहित कालावधि के तीन चौथाई से अधिक की कालावधि का विलम्ब — 10.00 प्रतिशत
    - निर्धारित नुकसान की अधिकतम रकम — 10.00 प्रतिशत
29. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.3(10)नविवि/3/2012 पार्ट राजकाज–8193031 दिनांक 22.07.2024 के अनुसार "विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोगित खनिज बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25 प्रतिशत एम–सेण्ड का उपयोग अनिवार्य होगा।"
30. निविदा के साथ सहमति पत्र संलग्न करना होगा।

नोटः– तकनीकी बिड खोलने की तिथी पर किसी भी कारण वश अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस पर प्राप्त व खोली जावेगी।

अधिशाषी अभियन्ता
नगर निगम, कोटा

क्रमांक : ननिको/निर्माण/2026/537-549 दिनांक : 10.6.26

प्रतिलिपि एवं सूचनार्थः–

1. श्रीमान् प्रशासक महोदय, नगर निगम, कोटा।
2. आयुक्त महोदय, नगर निगम, कोटा।
3. उपायुक्त महोदय, जोन–I/II/III/IV/V, नगर निगम, कोटा।
4. मुख्य/सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम, कोटा।
5. अधीक्षण अभियन्ता महोदय, नगर निगम, कोटा।
6. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम, कोटा।
7. निजी सहायक (अधी. अभि./अधि. अभि. नगर निगम, कोटा।
8. संबंधित सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता सिविल अनुभाग नगर निगम कोटा को भेजकर लेख हैं कि उक्त दिनांक से पूर्व तखमीना/जी–शिडयूल तैयार करवा कर वेब साईट पर अपलोड करावें।
9. पुस्तकालयाध्यक्ष, नगर निगम–कोटा को वास्ते **लोकल/राज्य स्तरीय समाचार–पत्र** में संक्षिप्त स्थान पर प्रकाशन हेतु।
10. प्रभारी, ऑसवाल डाटा, नगर निगम, कोटा।
11. ई–गर्वनेन्स/I.T. Branch/नगर निगम कोटा को भेजकर लेख हैं कि उक्त कार्यो की BOQ तैयार करवाकर अपलोड करावें।
12. कम्प्यूटर ऑपरेटर (निर्माण)/नोटिस बोर्ड, नगर निगम, कोटा।
13. सुरक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता
नगर निगम, कोटा